हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी

राजस्व आवेदन संख्या 488/2023 अनवान हीराराम बनाम चूनाराम वगैराह

आदेश

03/04/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। आज बावजूद सूचना अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 777 रकबा 01.4083 हेक्टयर, खसरा संख्या 779 रकबा 0.0243 हेक्टयर व खसरा संख्या 875/780 रकबा 5.0343 हेक्टयर, भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 777 रकबा 01.4083 हेक्टयर, खसरा संख्या 779 रकबा 0.0243 हेक्टयर व खसरा संख्या 875/780 रकबा 5.0343 हेक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर षामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर